न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग)

निर्णय दिनांकः 20.11.2024

पीठासीन अधिकारीः सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः 303/2022

इन्दरराम उम्र 58 साल पुत्र श्री राधेलाल, जाति ब्राहमण, निवासी कामिलपुर पटटी तहसील सीकरी जिला डीग।
———वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार सीकरी तहसील सीकरी जिला डीग।
———असल प्रतिवादी

2. महेन्द्रपाल पुत्र राधेलाल
3. हबडू पुत्र छोटेलाल
   जातियान ब्राहमण, निवासीयान कामिलपुर पटटी सीकरी, तहसील सीकरी, जिला डीग।
——— तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा (डिक्लेरेशन) हस्व दफा अंतर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश चंद गुप्ता, अधिवक्ता वादीगण।
2. पैरोकार सरकार

निर्णय

यह वादपत्र वादी ने इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नंबर 141/0.05 बाके ग्राम कामिलपुर पटटी तहसील सीकरी में अवस्थित है। आराजी खसरा नंबर 141/0.05 बाके ग्राम कामिलपुर पटटी तहसील सीकरी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। लेकिन वादी तथा तरतीवी प्रतिवादीगण की जाति बाढी दर्ज है जबकि वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की जाति ब्राहमण है, आराजी पुराने राजस्व रिकार्ड में बुजुर्गों के नाम दर्ज है, लेकिन जाति दर्ज नहीं है बच्चों के शिक्षा रिकार्ड में जाति ब्राहमण दर्ज है। काफी समय पहले वादी तथा तरतीवी प्रतिवादीगण के यहॉ आरा मशीन थी जिस पर लकडी का व्यवसाय होता है, इसके आधार पर किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा अन्य किसी दीगर व्यक्ति के कहे अनुसार वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गों की जाति बाढी दर्ज कर दी जो आज तक दर्ज है, जिसके दर्ज रहने से वादी के संवैधानिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है, इसलिए वादी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जाति बाढी के स्थान पर ब्राहमण दर्ज अभिलेख कराने का अधिकारी हैं तथा डिक्री उदघोषणा इसी आशय की न्यायालय से जारी करा पाने का अधिकारी हैं। अंत में वादी ने निवेदन किया विवादित आराजी खसरा नंबर 141/0.05 बाके ग्राम कामिलपुर पटटी तहसील सीकरी के राजस्व रिकार्ड में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की जाति बाढी के स्थान पर ब्राहमण दर्ज की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज0

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण (पैरोकार सरकार) ने दिनांक 23.02.2023 को जबाब दावा पेश किया।

पैरोकार सरकार ने अपने जबाब में कथन किया कि संवत 2036 की जमाबंदी ममें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 के पिता की जाति बाढी दर्ज है तथा अन्य भूमियों में भी पिछले राजस्व रिकार्डों में प्रार्थी व उसके पिता की जाति बाढी दर्ज होना पाया तथा रिपोर्ट पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट के अनुसार भी वादी की जाति बाढी पाई गई है।

प्रतिवादीगण के जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गईः–

तनकी संख्या 01ः– आया वादी आ.ख.नं. 141/0.05 बाके ग्राम कामिलपुर पटटी पर अपनी जाति बाढी के स्थान पर ब्राहमण दर्ज करा पाने का अधिकारी हैं? ––– जिम्मे वादी

तनकी संख्या 02ः– आया प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रति.सं. 2, 3 के पिता की जाति बाढी दर्ज तथा अन्य भूमियों के पिछले राजस्व रिकार्ड में भी जाति बाढी दर्ज है, दावा वादी खारिज योग्य है? ––– जिम्मे प्रतिवादी

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी इन्दरराम का शपथ पत्र, गवाह रामकिशन का शपथ पत्र, गवाह रतीराम का शपथ पत्र, एवं हाल जमाबंदी संवत 2073–2076 पेश की।

गत तारीख पेशी को वकील वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस बाबत वादपत्र सुनी गई। वकील वादी एवं पैरोकार सकरार की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत पत्रावली एवं जबाब दावा का अवलोकन किया गया, अतः प्रकरण में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है तथा प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है।

तनकीवार निर्णयः– चूंकि दोनों तनकीयों का साबित बिन्दू एक की होने के कारण दोनों तनकीयों का निर्णय एक साथ किया जाना न्यायसंगत है।

वादी ने यह वाद पत्र अपनी जाति की शुद्धि के लिए अंतर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सीकरी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता की जाति साविक रिकार्ड में बाढी दर्ज है, अतः वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की जाति हाल राजस्व रिकार्ड में मुताबिक साविक रिकार्ड बाढी सही दर्ज की गई है।

वादी ने वाद पत्र जाति शुद्धि हेतु अंतर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया है जबकि 88, 89 के प्रावधान निम्न प्रकार हैंः–

88. Suits for declaration of right— (1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy. (2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant. (3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant. (4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज०

pg. 267

tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

89. Suit as to class of tenancy etc.— At any time during the continuance of a tenancy. the tenant or a landholder other than the State Government may sue for declaration as to all or any of the following matters. namely:- (a) the class to which the tenant belongs. (b) the area. numbered plots or boundaries of the holding. (c) the rent payable in respect of the holding- and the manner in which it is payable: (d) in the case of rent payable in case. the dates on which and the instalments in which it is payable. (e) in-the case of rent payable in kind. the time place and manner of appraisement. division or delivery of the crops. (f) in the case of a Gair Khatedar tenant or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant. the term for which the tenancy is to run. and. (g) any special conditions not inconsistent with the provisions of this Act.

वाद पत्र की बाबत वादी के विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत पत्रावली, जबाब पैरोकार सरकार एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन करने पर आदेश है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सीकरी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की जाति हाल राजस्व रिकार्ड में बाढी सही दर्ज है। वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि उसकी जाति बाढी न होकर ब्राहमण है, वादी अपने वाद–पत्र को साबित करने में असफल रहा है अतः दावा वादी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग)